अवैध खनन संबंधित याचिका की सुनवाई से खुद को किया अलग

भाजपा विधायक ने बात करने हाईकोर्ट जज को लगाया सीधे फोन

जबलपुर। अवैध खनन की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ विधानसभा सीट से भाजपा विधायक तथा पूर्व मंत्री संजय पाठक की मॉ निर्मिला पाठक तथा पुत्र यश पाठक ने याचिका में इंटर विनर बनने के लिए आवेदन किया था। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने इंटर विनर आवेदन पर गौर करने के बाद पाया कि आवेदक यश पाठक के पिता संजय पाठक उनसे चर्चा करने के लिए फोन पर संपर्क करने का प्रयास कर रहे थे। एकलपीठ ने उक्त याचिका की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये हैं।

मुड़वारा कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जबलपुर के सिहोरा, गोसलपुर तथा कटनी में अवैध माइनिंग के संबंध में उन्होंने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल में शिकायत की थी। शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की तरफ से एकलपीठ को बताया गया था कि याचिकाकर्ता के द्वारा मेसर्स निर्मला मिनरल्स के खिलाफ की गयी शिकायत को आवश्यक कार्यवाही के लिए खनिज विभाग को भेज दिया गया है।

इस दौरान निर्मला मिनरल्स की संचालक श्रीमती निर्मला पाठक तथा उनके नाती यश पाठक की तरफ से इंटर विनर बनने हाईकोर्ट में आवेदन पेश किया गया था। एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि आवेदक यश पाठक के पिता संजय पाठक फोन पर संबंधित मामले में चर्चा करने की कोशिश कर रहे है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है वह याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर रहे है। याचिका को सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।

एसपी को गिरफ्तारी वारंट की तामील कराने के निर्देश

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी राखी साहू की अदालत ने माढ़ोताल पुलिस द्वारा वारंट की तामील न कराए जाने के रवैये को गंभीरता से लिया। इसी के साथ एसपी को वारंट की तामीली कराने के निर्देश दिये है। मामला भूखंड विक्रय के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप से संबंधित है।परिवादी जबलपुर निवासी सौरभ परिहार की ओर से अधिवक्ता विनोद सिसोदिया ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित आदित्य कोष्टा व परिवार परस्पर मित्र थे। परिवार को व्यावसायिक उद्देश्य से एक भूखंड चाहिए था। इस पर आरोपी ने नेशनल हाईवे के किनारे अपनी जमीन होने की बात कही। साथ की सौदे की बात करते हुए एक लाख रुपये नगद ले लिए। जबकि दो लाख 90 हजार का चेक लिया। जब रजिस्ट्री की बारी आई तो टालमटोल करने लगा। संदेह होने पर जमीन के बारे में पूछताछ की गई। इस दौरान पता चला कि आरोपी का उस जमीन से कोई संबंध नहीं है। उसने धोखा देकर राशि ले ली है। इसीलिए पुलिस में शिकायत की गई। लेकिन ठोस कार्रवाई न होने पर अदालत में परिवाद दायर किया गया।

हेराफेरी करने वालों पर एफआईआर क्यों नहीं?

एमएलटी वेयरहाउस में करोड़ों की फर्जी खरीदी

नवभारत, जबलपुर। भेड़ाघाट स्थित मजीठा के एमएलटी वेयरहाउस में करोड़ों रुपए की फर्जी मूंग और उड़द का मामला उजागर हुआ है। जिसमें जांच दल द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में दर्शाया गया है कि 1 हजार 671 क्विंटल मूंग और 253 क्विंटल उड़द कम पाई गई है। देखा जाए तो कम पाई गई मूंग- उड़द की कीमत करोड़ों में है, जो कि पोर्टल पर चढ़ाकर कहां गायब कर दी गई है इसका खुलासा नहीं हुआ है। गौरतलब है कि करोड़ों रुपए की हेराफेरी होने के बाद भी केंद्र पर खरीदी कर रही बसेड़ी समिति और वेयरहाउस संचालक पर अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। जो कि प्रशासन पर भी सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर किसके दबाव में घोटाला करने वालों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है.. विगत वर्षों में भी मूंग खरीदी के समय मझौली क्षेत्र के सियाराम वेयरहाउस में लगभग 6 करोड़ रूपये की मूंग गायब मिली थी, जिसके बाद खरीदी करने वाली कंपनी पर मामला दर्ज करके वेयरहाउस सील किया गया था। देखा जाए तो अपराध की दृष्टि से अभी तक इस मामले में संदिग्ध खरीदी का भुगतान रुकने के अलावा प्रशासन द्वारा कोई भी सख्त कार्यवाही नहीं की है।

1924 क्विंटल का हुआ हेर-फेर

उप संचालक कृषि डॉ एस के निगम से मिली अनुसार सेवा सहकारी संस्था बसेड़ी द्वारा संचालित इस गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र में 503 किसानों से 12 हजार 928 क्विंटल मूंग एवं 299 किसानों से 8 हजार 736 क्विंटल उड़द की ऑनलाइन खरीदी दर्ज की गई थी। जबकि जिला स्तरीय दल की जाँच के दौरान यहाँ 11 हजार 257 क्विंटल मूंग और 8 हजार 434 क्विंटल उड़द ही स्टेक में लगी पाई गई। इस प्रकार 1924 क्विंटल मूंग-उड़द कम पाया गया है। जिसकी कीमत लगभग डेढ़ करोड़ रुपए से भी ज्यादा है।

इनका कहना है

अभी पूरी तरह से जांच नहीं हुई है,आगे की जांच भी चल रही है। जिसमें देखा जा रहा है कि किसके द्वारा फर्जी एंट्री की गई है और किसने फसल बेची है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।

डॉ एस के निगम, कृषि उपसंचालक

फरार डकैतों की तलाश: सरगना को बिहार समेत कई ठिकानों पर ले जाने की तैयारी में पुलिस

जबलपुर। खितौला स्थित इसाफ स्माल फाइनेंस बैंक में 11 अगस्त को डकैती डालकर 14 किलो 875 ग्राम सोना और 5, लाख 8 हजार रूपए लूटकर ले जाने के मामले में पुलिस ने डकैती डालने वाले अंतर्राज्जीय डकैत गिरोह दास गैंग के सरगना डकैत राजेश दास को रिमांड पर लिया हैं इस दौरान पुलिस अब उसे बिहार समेत अन्य ठिकानों पर ले जाने की तैयारी में है। गोल्ड और अन्य डकैतों की पुलिस को तलाश है। जिनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई है। विदित हो कि डकैती कांड मं रहीस लोधी और मद्दगार सोनू बर्मन, हेमराज, और विकास चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया था। जिनके कब्जे से लूटी गई रकम में से 1 लाख 83 हजार रूपए नगद ,एक कट्टा ,चार कारतूस दो मोटरसाइकिल ,चार मोबाइल व अन्य सामग्रियां जप्त किया गया था। रईस लोधी ने पूछताछ में राज उगले थे। जिसके आधार पर पुलिस की अलग अलग टीमें आरोपियों की पतारसी के लिए बिहार, झारखंड, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान रवाना किया गया था। इसके बाद राजेश दास को बिहार से दबोचा गया था। राजेश दास ने 18 जून 2025 को रायगढ़ जेल से छूटने के बाद 11 अगस्त को उसने साथियों के साथ खितौला में डकैती डाली थी। आरोपी के कब्जे से डकैती मै बैंक से लूटा गया आम जनता का गिरवी रखा 3 किलो सोना, जब्त किया गया था। पकडा गया आरोपी राजेश दास उर्फ आकाश दास एक दुर्दांत अपराधी है जिसने बिहार के जिला गया, सासाराम, जमुई, पुरुलिया रोहतास, गिरडी, छत्तीसगढ के जिला रायगढ के बैंक में लूट,डकैती के 12 अपराध दर्ज है।

पाटन रोड के पास रेत खाली करते वक्त हादसा

वैकल्पिक व्यवस्था से की गई बिजली आपूर्ति

चालक-परिचालक बाल-बाल बचे

132 केव्हीहाई-टेंशन बिजली लाइन से टकराया हाईवा,बड़ा हादसा टला

नवभारत,जबलपुर। मंगलवार को पाटन रोड विधासागर परिसर में रेत खाली करते समय हाईवा के चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए नयागांव-माढ़ोताल की 132 के. व्ही. ट्रांसमिशन लाइन को जोरदार टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी तेज थी कि हाईवे का पिछला चका भी फट गया। गनीमत रही कि वहां कोई मौजूद नहीं था नहीं तो बिजली के तारों के करंट की चपेट में आकर शहर में बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती। इस दौरान 132 के.व्ही. सबस्टेशन माढ़ोताल (जबलपुर) में अति उच्चदाब की वैकल्पिक बिजली की सप्लाई व्यवस्था विभाग के जिम्मेदारों द्वारा कराई गई जिस कारण शहर के एक बड़े हिस्से में विद्युत आपूर्ति में व्यवधान नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार ये वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती तो शहर का एक बड़ा हिस्सा बिजली बंद होने से घंटों प्रभावित होता। इस दौरान कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ और फिर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को सुचारू रूप से व्यवस्थित कराया। एम.पी. ट्रांसको के अधीक्षण अभियंता आर एस पांडे ने नवभारत से कहा कि हादसे में हाईवा में सवार चालक और हैल्पर भी बच गए नहीं तो वह भी करंट की चपेट में आ सकते थे। हादसे में ट्रांसमिशन लाइन और हाईवा को अत्याधिक नुकसान पहुंचा है। अब एम.पी. ट्रांसको के अधिकारियों ने संबंधित माढ़ोताल थाने में मामले की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिये आवेदन दिया है। अब देखना होगा कि पुलिस किस-किस पर एफआईआर दर्ज करती है।

इन प्रमुख क्षेत्रों में होती है विद्युत सप्लाई

एम.पी. ट्रांसको के अधीक्षण अभियंता आर एस पांडे ने बताया कि 132 के.व्ही. नयागांव - माढ़ोताल लाइन से शहर के प्रमुख अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल, शैल्वी हॉस्पिटल, स्वास्तिक हॉस्पिटल, ग्लोबल कॉलेज, श्री राम कॉलेज, सेंट अलायसिस कॉलेज, अतंर्राजीय बस अड्डा, विजय नगर सहित अनेक महत्वपूर्ण व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लाखों उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति होती है।

इसके पहले चार बार और हो चुकी है ट्रिपिंग

जानकारी के अनुसार पिछले कुछ समय में इस परिसर में ट्रांसमिशन लाइन के पास और नीचे अनाधिकृत निर्माण कार्य करने के कारण चार बार ट्रिपिंग हो चुकी है। मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने विधासागर परिसर के संचालक सौरभ जैन को ट्रांसमिशन लाइन के नीचे और आसपास विद्युत सुरक्षा के मानकों का पालन करने के अनेक नोटिस दिये हैं पर उनका उल्लंघन करने के कारण यह दुर्घटना हुई।

लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था चालक

प्रत्यक्षदर्शियों ने नवभारत को हादसे के संबंध में जानकारी देकर बताया कि हाईवा का चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चला रहा था। वाहन की ऊंचाई अधिक थी जिस कारण वाहन का ऊपरी हिस्सा सीधें माढ़ोताल की हाई-टेंशन बिजली लाइन के तारों से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि तेज चिंगारियों के साथ बिजली के तार नीचे गिर गए। इस दौरान हाईवा के टायर भी जलकर गिर गए। हादसे के तुरंत बाद वहां मौजूद लोगों द्वारा बिजली विभाग को सूचना दी गई।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में युवक की दो पत्नियों का हाईवोल्टेज ड्रामा

पुलिस की मौजूदगी में महिलाओं के बीच झड़प, हाथापाई

जबलपुर। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार दोपहर जनसुनवाई के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब युवक की दो पत्नियों का हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गई। शिकायतें लेकर पहुंची महिलाओं ने एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच पुलिस की मौजूदगी में ही झड़प हो गई जो हाथापाई तक पहुंची। एक-दूसरे के साथ मारपीट करने के साथ चप्पले भी चलाई गई। हालांकि पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश देते हुए मामला शांत कराया। जानकारी के मुताबिक रांझी निवासी अभिषेक वंशकार ने प्रीति वंशकार के साथ सामाजिक रीति रिवाज के साथ शादी की थी। जिनके दो बच्चे है एक बेटी की मौत हो चुकी है। इसके बाद अभिषेक ने पहली पत्नी को छोड़ दिया था और बिना तलाक दिए दूसरी शादी कर ली थी। इसे बाद से प्रीति वंशकार घमापुर में रहने लगी थी। मंगलवार को प्रीति वंशकार शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी। इस बीच अभिषेक दूसरी पत्नी के साथ पहुंच गया। जिसके बाद उसकी दोनों पत्नियां आपस में भिड़ गई। पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई और आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। नौबत यहां तक पहुंच गई कि एक-दूसरे से मारपीट करते हुए उन्होंने चप्पलों से हमला कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में उन्हें सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया जहां उनके खिलाफ आगे की कार्वाई की गई।

दोनों पक्षों पर काउंटर केस दर्ज

सिविल लाइन थाना प्रभारी अनुप कुमार नामदेव ने बताया कि दोनों पक्षों के खिलाफ मारपीट समेत अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। प्रीति वंशकार निवासी घमापुर की रिपोर्ट पर नेना और अभिषेक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि नेना खनौतिया निवासी रांझी की रिपोर्ट पर प्रीति और माया के खिलाफ अपराध दर्ज हुआ है।

6 पटवारियों की एक एक वेतन वृद्धि रुकी

जबलपुर। फार्मर रजिस्ट्री के कार्य में लापरवाही बरतने पर प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख एवं संयुक्त कलेक्टर नदीमा शीरी द्वारा 6 पटवारियों की असंचयी प्रभाव से एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश जारी किये गये हैं। इन पटवारियों में आशुतोष लोधी, सुधीर कुमार पटेल, नितेश यादव, ओमप्रकाश तिवारी, परसराम परते एवं श्रीमती प्रतिभा मेसराम शामिल है। विदित है कि कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा गत दिनों आयोजित राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक में फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा के दौरान इन पटवारियों के क्षेत्र में लक्ष्य के विरूद्ध अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर कलेक्टर ने कार्यवाही करने के निर्देश प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख को दिये थे।

शमशान घाट से बिना हाथ- पैर के मृत बच्चे को मुंह में दबाकर लाया श्वान, शनि मंदिर के परिसर में रखकर नोंचा

जबलपुर। तिलवारा थाना अंतर्गत शनि मंदिर परिसर में शमशान घाट से बिना हाथ- पैर के मृत बच्चे को मुंह में दबाकर लाया श्वान नोंच रहा था जब लोगों ने देखा तो श्वान को भगाया और मामले की सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि दीपक बर्मन पिता कमल बर्मन उम्र 27 वर्ष तरी मोहल्ला रमनगरा ने सूचना दी कि वह तिलवारा घाट नर्मदा जी मे नाव चलाता है बीती रात्रि करीब 09.30 बजे एक काले रंग का कुत्ता शमशान घाट से मुंह में बच्चा को दबाकर लाया और शनि मंदिर के परिसर में रखकर नोचने लगा जिसे देखकर कुत्ते को भगाया फिर पुलिस को सूचना की थी बच्चा को देखकर लग रहा था की उम्र करीब 15 दिन का होगा जो किसी के द्वारा तिलवारा घाट में मृत होने के पश्चात कफन दफन किया है बच्चा के दोनों हाथ एवं पैर एवं कमर के नीचे का हिस्सा नही है। जो किसी जीव जन्तु ने खा लिया है।

रेत कारोबारी हत्याकांड : पार्टनर, मैनेजर, ड्राइवर गया जेल

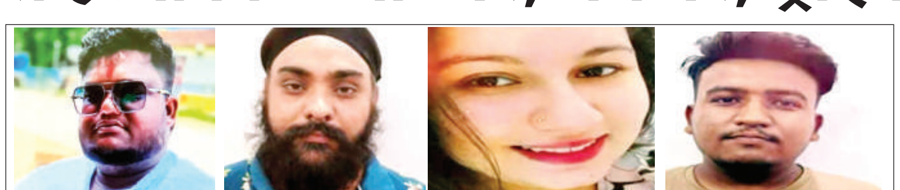

मृतक नितेश | मास्टरमाइंड रमनदीप | मैनेजर मीनाक्षी | ड्राईवर तौकीर

जबलपुर। बरगी डैम में रेत कारोबारी की हत्या करने वाले आरोपियों की मंगलवार का रिमांड खत्म हो गई। रिमांड खत्म होने पर सभी आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया हैं। विदित हो कि संजय नगर निवासी रेत कारोबारी नितेश विश्वकर्मा और रमन दीप दोस्त थे जिन्होंने एक कंपनी बनाई थी। जिसमें दोनों पार्टनर थे। कंपनी के द्वारा दो पुराने सेकंड हैंड हाईवा खरीदे गए थे जिसकी पूरी किस्त रमनदीप ही चुका रहा था नितेश कोई भी सहयोग नहीं कर रहा था। 10 से 20 लाख का हिसाब बाकी था । जिसके चलते दोनों के बीच मनमुटाव और बहस हो गई थी। रमनदीप ने होटल पसरीचा में इवेंट मैनेजर महिला मित्र मीनाक्षी कपूर और अपने ड्रायवर तौकीर के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई थी। मीनाक्षी ने हुस्न के जाल में नितेश को फंसाया था। इसके बाद 24 अगस्त को घुमाने के लिए बरगी डैम ले गई थी जहां नितेश को शराब पिलाई और तौकीर को लाइव लोकेशन भेज दी थी। इसके बाद तौकीर पहुंचा और इशारा मिलते ही उसने रॉड से वार कर नीतेश की हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया था। हत्याकांड के लिए रमनदीप ने दोनों को 50-50 हजार रुपए दिए थे। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था जिन्हें रिमांड पर लिया गया था। मंगलवार को रिमांड खत्म होने पर मुख्य आरोपी रमनदीप सिंह मारवाहा पिता अमरजीत सिंह मारवाहा 29 वर्ष निवासी मस्ताना चौक रांझी, तौकीर खान पिता स्व. याकूब खान 25 वर्ष निवासी दुर्गानगर कुरैशी मार्बल आनंद नगर अधारताल, मिनाक्षी कपूर उर्फ श्रुति पिता स्व. प्रवीण कपूर 22 वर्ष निवासी आजादनगर रावण पार्क रांझी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें कोर्ट ने जेल भेज दिया है।

पुलिस ने कातिलों को ढूंढ निकाला, मृतक की नहीं हो पाई शिनाख्त

झंडा चौक में तम्बाकू न देने पर तीन बदमाशों ने चाकू से गोदकर की थी हत्या

जबलपुर। ग्वारीघाट थाना अंतर्गत झंडा चौक स्थित पटेल भोजनालय के सामने चाकू से गोदकर की गई अज्ञात युवक की अंधी हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। तम्बाकू मांगने पर न देने से नाराज होकर बदमाशों ने चाकू से वार कर हत्या की थी। पुलिस ने कातिलों को ढूंढ निकाला। तीन आरोपी गिरफ्तार लिए गए हैं लेकिन मृतक कौन हैं और कहां का रहने वाला हैं इसका पता नहीं चल सका है पुलिस शिनाख्तगी के प्रयास कर रही है। इस हत्याकांड का खुलासा मंगलवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन 2 सुश्री पल्लवी शुक्ला ने पुलिस कंट्रोल रूम में किया। विदित हो कि रत्नी बाई पटेल पति स्व. कल्लू पटेल 63 वर्ष निवासी पुरानी रेल्वे स्टेशन के सामने ग्वारीघाट का झंडा चौक में पटेल भोजनालय है। 30 अगस्त को भोजनालय के सामने एक अज्ञात युवक की मौत हो गई। जिसके पैर से खून निकल रहा था। अज्ञात मृतक की उम्र करीब 35 से 40 वर्ष हैं जिसके हाथ में ओम् का टेटू और गर्दन में मां लिखा टैटू है। सोमवार को पीएम के बाद अज्ञात के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोन-2 सुश्री पल्लवी शुक्ला एवं नगर पुलिस अधीक्षक गोरखपुर एम.डी. नागोतिया के मार्गदर्शन में ग्वारीघाट थाना प्रभारी सुभाष चंद बघेल के नेतृत्व में टीम गठित कर लगाई गई। दौरान जांच के सीसीटीव्ही फुटेज खंगाले गये, आसपास के लोगों से पूछताछ की गयी एवं मुखबिरों को लगाया गया। सुराग मिलने पर तरूण करियार निवासी रामपुर दुर्गा गोरखपुर, आकाश चौधरी निवासी ग्वारीघाट, प्रेम बेन उर्फ बब्बू बेन निवासी बादशाह हलबाई मंदिर केशरवानी होटल के पास को पकड़ा। जिन्होंने पूछताछ में बताया कि तम्बाकू मांगने पर विवाद हुआ था। न देने पर चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। आरोपियों के कब्जे से चाकू, स्कूटी क्रमांक एमपी 20 एस.एस 7281 को जप्त किया गया है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57